न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी व तारबंदी बाबत ख0न0 1937, 1938 वाके ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर

निर्णय दिनांक :- 01/05/2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1937 रकबा 1.15 हैक्टे०, ख0न0 1938 रकबा 0.11 हैक्टे०, कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टे० वाके ग्राम मानुपरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर के प्रार्थी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है, जिसका प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजी का शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। लेकिन प्रार्थी अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु अपने खेत के तारबंदी करवा सुरक्षित रखना चाहते है, जिससे हेतु अपने खेत के तारबदी करवा सुरक्षित रखना चाहते है जिससे की सींवा जोड खातेदारों से कभी भी सीमा संबंधी किसी बात पर कोई विवाद उत्पन्न न हो, जिस कारण से प्रार्थी ने पूर्व में अपनी उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने हेतु उप तहसीलदार, महोदय आमेर के समक्ष आवेदन किया गया है, जिस पर तहसीलदार महोदय आमेर के आदेश क्रमांक भू.अ./2016/2294 दिनांक 03.06.2016 की पालना में सीमाज्ञान 15.06.2016 को सीमाज्ञान पडोसियो की मोजूदगी में किया गया, उसके मुताबिक प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थीगण की आराजी ख०न० 1937 रकबा 1.15 हैक्टे०, ख०न० 1938 रकबा 0.11 हैक्टे०, कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टे० वाके ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर के चारो और अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सीमाज्ञान के लगते है। इस प्रकार से उक्त सभी सीवाजोड खातेदारो को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है, जिससे पत्थरगढी करने में पडोसी खातेदार काश्तकारो से आपसी लडाई झगडे से निजात पाया जा सके।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि ख०न० 1937 रकबा 1.15 हैक्टे, ख0न0 1938 रकबा 0.11 हैक्टे०, कुल किता 02 कुल रकबा 1.26 हैक्टे. वाके ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर की पत्थरगढी व तारंबदी पुलिस इमदाद से करवाने हेतु तहसीलदार, आमेर को आदेशित व निर्देशित करने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी पूर्ण की गयी। तामिल बाद भी उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, आमेर के आदेश क्रमांक भू.अ./2016/2294 दिनांक 03.06.2016 की पालना में सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2016 को सीमाज्ञान करवाया जाना कहा है, उसकी न तो मिन उत्तरदातागण को जानकारी है, तथा ना ही उस पर उत्तरदातागण के हस्ताक्षर है। मिनउत्तारदाता संख्या 6 सुरेश कुमार पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला- जयपुर

रामदेव के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1957/4093 रकबा 0.12 हैक्टे०, ख0न0 1959 रकबा 1.14 हेक्टे0, कुल किता 02 कुल रकबा 1.26 हैक्टे0 में स्थित है जो प्राथी के पूर्व में की तरफ से स्थित है तथा मिन उत्तरदाता संख्या 7 कैलाशराम जुगतावत के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की कृषि भूमि ख०नं० 1939 रकबा 0.18 हैक्ट०, 1940 रकबा 0.05 हैक्टे० भूमि प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1938 के दक्षिण में स्थित जोड स्थित है जो ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीया की भूमि ख०न० 1937, 1938 की पत्थरगढी करने से पूर्व मिन उत्तरदाता की उक्त वर्णित कृषि भूमि ख०न० 1957/4093. 1959. 1939 1940 की भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान किया जाकर सीमाचिन्ह निर्धारित करने के पश्चात प्रार्थीया की भूमि पत्थरगढी मिन उत्तरदाता की उपस्थिति में की जाती है तो मिन उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नही है। मिन उत्तरदातागण ने अपनी ख०न० 1957/4093, 1959, 1939, 1940 वाके ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर बाबत सीमाज्ञान हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रखा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मिन उत्तरदातागण के जवाब मय अतिरिक्त कथन के अनुसार आदेश फरमाये जाने में उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी सख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तथाकथित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही है एवं ना ही कभी उक्त भूमि का सीमाज्ञान अप्रार्थी के समक्ष कराया गया है। मिन अप्रार्थी की पुराने ख०न० 667 वाके ग्राम मानपुरा माचेडी रकबा 136 बीघा 4 बिस्वा में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि नियम की गई थी एंव नक्शे में उसके अनुसार तरमीम भी हो गयी थी, मिन अप्रार्थी अपने आवंटन के अनुसार अपनी भूमि में काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त ख०न० में से अन्य व्यक्तियों की भी भूमि आवंटित की गयी थी। ख0न0 667 के कई नये नंबर बना दिये गये हैं। जिसमें से मिन अप्रार्थी को नवीन खसरा नम्बर 943, 943/3718 का पर्चा दिया गया है, लेकिन ख0न0 943/3718 के रकबे का खसरा नम्बर 667 में से हटाकर ख0न0 670 में मिलाकर पूरा किया गया है, जबकि उक्त ख०न० की भूमि ख0न0 667 से ही पूरी की जानी चाहिये थी एवं प्रार्थीगण के खेत से लगते हुये नारायण पुत्र काना रेगर का नंबर लिखा दिया गया, जबकि उक्त नारायण पुत्र काना रैगर का खेत मिन अप्रार्थी से दूरी पर स्थित था। इससे मौके पर झगडे की संभावना बढ़ गयी है एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत पैमाइश कर कब्जा अनुसार नक्शा नही बनाया गया है। मौके पर किसी भी विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि कब्जे के अनुसार पुनः सर्वे करवाकर नक्शे में की गयी तरमीम को निरस्त किया जावे। ख0न0 670 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा में से मिन अप्रार्थी को 3 बीघा 11 बिस्वा नियमन हुयी थी। इस भूमि पर मिन अप्रार्थी पूर्व से ही काबिज चले आ रहे है व नक्शे में भी तरमीम उसी अनुसार कर दी गयी थी। भू०प्रबन्ध विभाग द्वारा दक्षिण की तरफ पूर्वी कोण में 9 ऐयर भूमि कम कर उक्त भूमि पर देवा पुत्र चन्दा खटीक के वारिसान जगदीशं वगै० को काबिज बता दिया गया है। जबकि उक्त खातेदार कभी भी इस भूमि पर काबिज नहीं रहे। मिन अप्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि को नक्शे में से भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
जिला- जयपुर

कम कर ख0न0 946 नये बने नबर डालकर मिन अप्रार्थी की भूमि के दक्षिण की ओर 9 ऐयर भूमि का नया टुकड़ा बना दिया गया जो कि कतई गलत है। इससे भी विवाद बढ़ने की संभावना हो गयी। इसलिये पुराने नक्शे के अनुसार मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही नक्शे में तरमीम की जावे। जिससे कि आईदा कोई विवाद उत्पन्न नहीं होवे। इस प्रकार प्राथी द्वारा नाजायज रूप से अप्रार्थी की भूमि को अपनी बताकर उक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी करवा कर कब्जा करना चाहता है जो कानूनन सही नहीं है। भू० प्रबंध विभाग की त्रुटि को ढाल बनाकर जहां अप्रार्थी प्रार्थी काबिज है, उक्त भूमि को अपनी बनाना चाहता है, जबकि प्रार्थी का कब्जा नहीं है। अप्राथी द्वारा प्रस्तुत धारा 136 वास्ते दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। जब तक उक्त प्रार्थना पत्र निस्तारित नहीं हो जाता तब तक पत्थरगढी आदेश पारित करने पर अप्रार्थी के हक व अधिकारों का हनन होगा, जिसकी पूर्ति करना भविष्य में संभव नहीं होगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी का धारा 136 का प्रार्थना पत्र निस्तारण तक प्रार्थी के पत्थरगढ़ी की प्रार्थना पत्र निस्तारित करना न्यायहित में नही है।

तहसीलदार, तहसील आमेर ने पत्र क्रमांक भू.अ./21/4275 दिनांक 13.08.2021 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई जिसका सार इस प्रकार है:– ग्राम मानपुरा माचेडी, तह. आमेर के ख0न0 1937, 1938 किता 2 रकबा 1.26 हेक्टे० कमला देवी पत्नि कालूराम जाति खटीक सा० देह राहिन एसबीआई आमेर मूर्तहीन खातेदारी दर्ज है। ख0न0 1937, 1938 की सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2016 को की गई जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न है। ख०न० 1937, 1938 में किसी भी न्यायालय का स्थगन वाद/अब्दूल रहमान/माफी मंदिर/ चरागाह का स्थगन का नोट अंकित नहीं है। ख०न० 1937, 1938 में पडोसी खातेदार ख0न0 948 व 1960 उत्तर दिशा ख०न० 1959, 1957/4093 पूर्व दिशा ख0न0 1939, 1940, 1935, 1937 दक्षिणी के सीमा के खातेदारी इस प्रकार है। ख0न0 948– शंकर सिंह, उम्मेदसिंह पि० भंवर सिंह, जाति राजपूत सा०देह खातेदार। ख०न० 1960– नारायण भागीरथ, रघुवीर पुत्र बंशी, जाति दरोगा सा०देह खातेदार। ख0न0 1959, 1957/4093 सुरेश कुमार पि० रामदेव जाति बलाई 353 हसनपुरा, जयपुर खातेदार। ख0न0 1939, 1940– कैलाशदान जुगतावत पुत्र मुरारीदान चारण नि० पारलू, तहसील बाडमेर खातेदार। ख0न0 1935, 1936 दयालसिंह पुत्र हरिसिंह हि0 1/2, जगदीश शंकर पत्नि कानसिंह, भवानीसिंह, राजेन्द्रसिंह, गजराजकंवर पुत्र पुत्री कानसिंह, जाति राजपूत, सा०देह खातेदार। ख०न० 949– भंवर सिंह पुत्र नाथूसिंह, जाति राजपूत सा०देह खातेदार।

तहसीलदार, तहसील आमेर द्वारा पत्रांक भू.अ./1850 दिनांक 18.04.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई गई जिसका सार इस प्रकार है:–ग्राम मानपुरा माचेडी, तह० आमेर के ख0न0 1937, 1938 किता 2 रकबा 1.26 है, कमला देवी पत्नी कालूराम हि० पूर्ण जाति खटीक नि0 193 बाबूबस्ती तह० व जिला जयपुर खातेदार राहिन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर रोड, जयपुर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी करवाना मौके पर कब्जा संबंधी विवाद भी है। ख0न0 1937,1938 का स्थगन का

उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला- जयपुर

नोट अंकित है। ख0न0 1937, 1938 में पडोसी खातेदार ख0न0 948 व 1960 उत्तर दिशा ख0न0 1959, 1957/4093 पूर्व दिशा ख०न० 1939, 1940, 1935, 1937 दक्षिणी के सीमा के खातेदारी इस प्रकार है। ख0न0 948– शंकर सिंह, उम्मेदसिंह पि० भंवर सिंह, जाति राजपूत सा०देह खातेदार। ख0न0 1960– नारायण भागीरथ, रघुवीर पुत्र बंशी, जाति दरोगा सा०देह खातेदार। ख०न० 1959, 1957/4093 जमाबंदी बदस्तूर । ख०न० 1939, 1940– गौतम नाथानी पुत्र घनश्याम, जाति महाजन शेष बदस्तुर जमाबंदी। ख0न0 1935, 1936 दयालसिंह पुत्र हरिसिंह, जाति राजपूत, सा०देह खातेदार। ख0न0 949– भंवर सिंह पुत्र नाथूसिंह, जाति राजपूत सा०देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

::– आदेश –::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, तहसील आमेर को आदेशित किया जाता है कि :–

01. पत्रावली के अध्ययन के पश्चात देखा गया कि लगवा/पडौसी खातेदारों को विचाराधीन प्रकरण में उचित तामिल नहीं करवायी है, जिस कारण उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः न्यायालय का मत है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उन सभी पक्षकारों को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व सभी लगवा/पडौसी पक्षकारों को विधिवत नोटिस दिया जाकर सूचित करे।
02. प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1937 रकबा 1.15 हैक्टे०, ख0न0 1938 रकबा 0.11 हैक्टे०, कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टे० वाके ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये
03. तहसीलदार, तहसीलद आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रकिया अपनाते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें।
04. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13(28) राज ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के आदेशानुसार खड़ी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।
05. तहसीलदार, आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी तरह का कब्जा हस्तांतरण नही करें।
06. यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो इस आदेश के माध्यम से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। कब्जा संबंधी मामलो में

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में पृथक से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

आज दिनांक 01/05/2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर